वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जनवरी, 2017-पोष 16, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे घरू नाम पूजा बोहरे पत्नी श्री मुकेश कुमार बोहरे है. मेरे स्कूली दस्तावेजों में मेरा नाम सुचेता बोहरे है. भविष्य में मैं, अपना नाम सुचेता बोहरे उर्फ पूजा बोहरे पति श्री मुकेश कुमार बोहरे के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जावे.

पुराना नाम :
(पूजा बोहरे)

नया नाम :
(सुचेता बोहरे उर्फ पूजा बोहरे)
पति श्री मुकेश बोहरे,
निवासी-ग्राम पिठवानी, तहसील गाडरवाला,
जिला नरसिंहपुर (मध्यप्रदेश).

(570-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम श्रीमति रजनी भाटिया पति बृजमोहनसिंह भाटिया था, जिसे बदलकर अब मैंने अपना नाम श्रीमति रजनी भाटी पति श्री बृजमोहन भाटी रख लिया है. अब से मुझे मेरे नए नाम श्रीमति रजनी भाटी पति श्री बृजमोहन भाटी के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(रजनी भाटीया)

नया नाम :
(रजनी भाटी)
155, स्टेशन रोड, रतलाम.

(571-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने हायर सेकेन्ड्री स्कूल की परीक्षा सुधीर कुमार पिता श्री जीवनलाल के नाम से उत्तीर्ण

की थी. जबकि मेरे नौकरी के दस्तावेजों में सुधीर दुबे पिता श्री जीवन लाल दुबे लिखा है और में इसी नाम से पहचाना जाता हूँ चूंकि मेरे पासपोर्ट आवेदन एवं अन्य दस्तावेजों कार्यवाही में मेरा नाम सुधीर दुबे पिता श्री जीवन लाल दुबे लिखा है. अतः सुधीर कुमार पिता स्व. श्री जीवन लाल के स्थान पर मुझे सुधीर दुबे पिता श्री जीवन लाल दुबे लिखा-पढ़ा एवं जाना-पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(सुधीर कुमार)

नया नाम :

(सुधीर दुबे)

चन्द्रशेखर वार्ड बीना, तहसील बीना,
जिला सागर (म.प्र.).

(572-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम देवेन्द्रसिंह भाटीया पिता बृजमोहनसिंह भाटीया था, जिसे बदलकर अब मैंने अपना नाम देवेन्द्रसिंह भाटी पिता बृजमोहनसिंह भाटी रख लिया है. अब से मुझे मेरे नए नाम देवेन्द्रसिंह भाटी पिता बृजमोहनसिंह भाटी के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(देवेन्द्रसिंह भाटीया)

नया नाम :

(देवेन्द्रसिंह भाटी)

155, स्टेशन रोड, रतलाम.

(573-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम कु. वन्दना शितोले पुत्री श्री रामराव शितोले, निवासी सैलार की गोठ, लश्कर, ग्वालियर था. दिनांक 20-02-2000 को मेरा विवाह श्री शशीकान्त पवार, निवासी गुढ़ा की पुलिया कम्पू, लश्कर, ग्वालियर से हिन्दू धार्मिक रीति के अनुसार हुआ है. विवाह उपरांत मेरा नाम बन्दना शितोले से परिवर्तित होकर शुभांगी पवार हो गया है. अतः उक्त दिनांक में से अपने सभी रिकार्ड, मार्कशीट आदि में शुभांगी पवार के नाम से जारी जाऊँगी.

पुराना नाम :

(बन्दना शितोले)

नया नाम :

(शुभांगी पवार)

पत्नि शशिकांत पावर,
निवासी—गुढ़ा की पुलिया कम्पू, लश्कर,
ग्वालियर (म.प्र.).

(574-बी.)

नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं विभोर कपूर आत्मज अरूण कपूर, उम्र करीब 33 वर्ष, निवासी मकान नं. 1222, नेपियर टाऊन चौथा पुल किचन वुड के सामने, जबलपुर म.प्र., तहसील जबलपुर में अपने उक्त नाम को परिवर्तित कर बिभोर कपूर करना चाहता हूँ. क्योंकि मुझे अधिकांश लोग विभोर कपूर के नाम से ही जानते हैं. अतः आज दिनांक से भविष्य में मुझे "विभोर कपूर" के स्थान पर "बिभोर कपूर" के नाम से जाना जाये तथा समस्त पत्र व्यवहार इसी नाम से किया जावे.

पुराना नाम :

(विभोर कपूर)

नया नाम :

(बिभोर कपूर)

निवास-म. नं. 1222, नेपियर टाऊन,
चौथा पुल, जबलपुर किचन वुड के सामने,
जबलपुर (म.प्र.).

(579-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, शपथ पूर्वक कथन करता हूँ के मेरा नाम शत्रुहन लाल पिता राम विचारे था. जिसे आज दिनांक से मैंने अपना नाम प्रोफेशर जी (Professorji) रख लिया है. अतः आज से मुझे प्रोफेशर जी पिता राम विचारे के नाम से जाना-पहचाना तथा रिकार्डो में सुधार किया जाय.

पुराना नाम :

(शत्रुहन लाल)
पिता राम विचारे.

नया नाम :

(प्रोफेसरजी)

ग्राम-जैतपुर, पो. जयन्त,
जिला सिंगरौली (म.प्र.).

(580-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, शपथ पूर्वक कथन करती हूँ कि मेरा नाम मीना शाह पति प्रोफेसरजी था. जिसे आज दिनांक से मैंने अपना नाम मीना प्रोफेसरजी (Meena Professorji) रख लिया है. अतः आज से मुझे मीना प्रोफेसरजी पति प्रोफेसरजी के नाम से जाना-पहचाना तथा रिकार्डों में सुधार किया जाय.

पुराना नाम :

(मीना शाह)

पति प्रोफेसरजी.

नया नाम :

(मीना प्रोफेसरजी)

ग्राम-जैतपुर, पो. जयन्त,

जिला सिंगरौली (म.प्र.).

(581-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Devendra Kumar S/o Shri Laxman Dass, R/o 30, Neelgiri Appartment, Sector-9, Rohini, Delhi-85, shall henceforth be known as Devendra Kumar Gupta for all purposes.

Old Name:

(DEVENDRA KUMAR)

New Name :

(DEVENDRA KUMAR GUPTA)

(582-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स शमशुद्दीन इल्यास खुर्शीद एण्ड संस की पार्टनरशिप फर्म के रूप में सं. पंजीयक कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं इन्दौर में पंजीकृत है. यह कि दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 को फर्म के साझेदार शमशुद्दीन पिता कमरूद्दीन, निवासी-39, ओल्ड राजमोहल्ला, इन्दौर, म.प्र. फर्म के साझेदार नहीं रहे एवं दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 को फर्म में इकबाल पिता खुर्शीद हसन, निवासी 91/1, ओल्ड राजमोहल्ला, इन्दौर एवं शादाब पिता इल्यास खान, निवासी 89, सुभाष मार्ग, इन्दौर म.प्र. को फर्म में भागीदार के रूप में शामिल किया गया है. साथ ही दिनांक 20-10-2016 को फर्म के साझेदार श्री खुर्शीद हसन पिता श्री अब्दुल मजीद, निवासी 91/1, ओल्ड राजमोहल्ला, इन्दौर म.प्र. एवं इल्यास खान पिता अब्दुल रहमान खान, निवासी 89, सुभाष मार्ग, इन्दौर म.प्र. ने फर्म से साझेदार के रूप में सेवानिवृत्त होकर फर्म के साझेदार नहीं रहे हैं. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 अंतर्गत पालनार्थ सर्व-सूचना है.

फोर-मैसर्स शमशुद्दीन इल्यास खुर्शीद एण्ड संस,

(एस. आई. के. एण्ड संस),

शादाब,

नागदा रेल्वे स्टेशन, नागदा (म.प्र.).

(575-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स मयुर इन्डस्ट्रीज वार्ड नं. 13 पन्धाना रोड, खण्डवा भागीदारी फर्म में निम्नलिखित परिवर्तन हुआ हैं. फर्म में सम्मिलित होने वाले भागीदार-दिनांक 23-08-2016 से (1) श्री सत्यनारायण माहेश्वरी पिता श्री हरकिशन माहेश्वरी, (2) राजेन्द्र कुमार बंसल पिता श्री मोहनलाल बंसल, (3) राहुल कुमार पिता राजेन्द्र कुमार बंसल फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित हुए हैं. एवं फर्म से पृथक् (रिटायर्ड) होने वाले भागीदार-दिनांक 23-08-2016 से (1) श्रीमती रतन ज्योति पिता मधुसुदन तिवारी, दिनांक 23-08-2016 से मे. मयुर इन्डस्ट्रीज फर्म में निम्न भागीदार हैं. (1) मधुसुदन पिता रामविलास तिवारी, (2) यश तिवारी पिता मधुसुदन तिवारी, (3) सत्यनारायण पिता श्री हरकिशन माहेश्वरी, (4) राजेन्द्र कुमार पिता श्री मोहनलाल बंसल, (5) राहुल कुमार पिता राजेन्द्र कुमार बंसल.

वास्ते-मे. मयुर इन्डस्ट्रीज

मधुसुदन तिवारी,

(भागीदार).

(576-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म-मेसर्स श्री लक्ष्मीनारायण एसोसिएट जिसका कार्यालय नगर निगम मार्केट, कम्पू, लश्कर, ग्वालियर में है., जो कि भागीदारी फर्म होकर दिनांक 01-11-2003 से भागीदारन (1) हेरम्ब शिवहरे पुत्र श्री पुरूषोत्तम शिवहरे, निवासी 1749 कैथ वाली गली हनुमान मंदिर के पास नई सड़क, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.), (2) राहुल शिवहरे पुत्र श्री पुरूषोत्तम शिवहरे,

निवासी 1749, कैथ वाली गली हनुमान मंदिर के पास नई सड़क, लश्कर, ग्वालियर भागीदार थे. दिनांक 20-11-2016 को इस फर्म की भागीदार राहुल शिवहरे पुत्र श्री पुरूषोत्तम शिवहरे, निवासी 1749 कैथ वाली गली हनुमान मंदिर के पास नई सड़क, लश्कर, ग्वालियर इस फर्म से पृथक् हो गये हैं. अब उनका इस फर्म से कोई लेना-देना नहीं है. भविष्य में कोई भी व्यक्ति संस्था एवं शासकीय विभाग एवं अर्द्धशासकीय संस्था व कोई भी व्यक्ति श्री राहुल शिवहरे से फर्म के वास्ते कोई लेन-देन नहीं करें. यदि कोई व्यक्ति करता है तो वह स्वयं उत्तरदायी रहेगा. दिनांक 20-11-2016 को उक्त फर्म में श्री सुदर्शन शिवहरे पुत्र श्री पुरूषोत्तम शिवहरे, निवासी 1749 कैथ वाली गली हनुमान मंदिर के पास नई सड़क, लश्कर, ग्वालियर इस फर्म में भागीदार बन गये हैं.

अत: हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि पृथक् हुए भागीदार श्री राहुल शिवहरे से उक्त फर्म के बावत् कोई लेनदारी व देनदारी निकलती है, हो तो वह सात दिवस के अन्दर फर्म मुख्यालय पर मय दस्तावेज के उपस्थित हों म्याद के पश्चात् कोई भी आपत्ति व मांग मान्य नहीं होगी.

मैसर्स श्री लक्ष्मीनारायण एसोसिएट,
सुदर्शन शिवहरे,
(पार्टनर)
पता-नगर निगम मार्केट, ग्वालियर.

(577-बी.)

जाहिर सूचना

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अधीन सूचना

सर्व-सूचित हो कि फर्म मेसर्स ए. एस. पी. एण्ड एसोसिएट्स एक पंजीयन फर्म है, जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/02/0140/15, (सन् 2015-16) है. इस फर्म का पता बंगला नं. 10, पुराना सचिवालय के सामने, भोपाल 462001 है. इस फर्म में श्री अरनव शर्मा पचौरी एवं श्रीमती शारदा शर्मा भागीदार हैं. इस फर्म में श्री आरूल शर्मा पचौरी, पुत्र श्री सुरेश पचौरी दिनांक 03-12-2016 से पार्टनर के रूप में समायोजित हो गये हैं साथ ही इस फर्म का पता मकान नं. 2, सूर्या कॉलोनी, राम नगर कॉलोनी के पास, ईदगाह हिल्स, भोपाल (म.प्र.) हो गया है.

अतएव दिनांक 3-12-2016 से मेसर्स ए. एस. पी. एण्ड एसोसिएट्स में क्रमश: श्री अरनव शर्मा पचौरी, श्रीमती शारदा शर्मा एवं श्री आरूल शर्मा पचौरी भागीदार हैं.

एम. पी. उपाध्याय,
(एडवोकेट)
Upadhay Law Chamber,
4, Alakhnanda Complex Zone-1,
M.P. Nagar, Bhopal (M.P.).

(578-B.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं लोक न्यास पंजीयक, सागर, अनुभाग सागर, जिला सागर

सागर, दिनांक 14 दिसम्बर, 2016

फार्म-4

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

आवेदक सिंघई पवन कुमार जैन वल्द सिंघई हुकमचंद जैन, निवासी 8/5, अंकुर कॉलोनी, मकरोनिया, सागर द्वारा नियम-4 (1) मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास विधान के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर "निभर्य सागर तपोवन धार्मिक ट्रस्ट सिदगुंवा" सागर मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु निवेदन किया है. जिसकी सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 12 जनवरी, 2017 को प्रात: 11.00 बजे की जावेगी.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास का सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीरत दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्त्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	:	निर्भय सागर तपोवन धार्मिक ट्रस्ट सिदगुंवा, सागर म.प्र.
पता	:	8/5, अंकुर कॉलोनी, मकरोनिया, सागर म.प्र.
चल सम्पत्ति	:	1. 21000/- रुपये नगद. 2. दानदाताओं द्वारा बोली गई राशियों की घोषणा-दो लाख रु. 3. 12 टेबिल, 12 चौका, 472 पुस्तकें ग्रन्थ, 6 अलमारी, 8 पंखा, 1 इनवेटर, 12 हजार रु. के पूजन के वर्तन, दो घण्टा, दो घण्टी, कीमती दरी फर्श बैठकी चिटाई.
अचल सम्पत्ति	:	1. ग्राम धवौली, शाहपुर, जिला सागर में एक आदिनाथ दिगम्बर जैन, मंदिर व धर्मशाला है. 2. ग्राम सिदगुंवा सागर में खसरा नम्बर 494 रकवा 0.300 हे. जमीन.

(893)

रा.प्र.क्र. 15/वी-113, वर्ष 2015-16. मौजा परकोटा, सागर.

क्र./10315.—एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सिंघई पवन कुमार जैन वल्द सिंघई हुकमचंद जैन, निवासी-8/5 अंकुर कॉलोनी, मकरोनिया, सागर द्वारा नियम-4 (1) मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास विधान के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर "निर्भय सागर तपोवन धार्मिक ट्रस्ट सिदगुंवा" सागर के पंजीयन हेतु निवेदन किया है. जिसके पदाधिकारीगण/सदस्यगण निम्नानुसार हैं:-

1.	अध्यक्ष	-	सवाई सिंघई हुकमचंद वल्द भैयालाल जैन
2.	उपाध्यक्ष	-	प्रमोद कुमार जैन फीरोजाबाद वाले
3.	महामंत्री	-	अजय कुमार जैन
4.	कोषाध्यक्ष	-	पवन कुमार जैन
5.	विधिक सलाहकार ट्रस्टी	-	बी. सी. जैन, एडव्होकेट परकोटा, सागर.
6.	संयुक्त मंत्री	-	समंत कुमार राजेश कुमार पाटनी भागलपुर वाले
7.	उपमंत्री	-	डॉ. मिथलेश जैन
8.	सहायक मंत्री	-	श्रीमति मणि जैन
9.	सदस्य	-	प्रवीण कुमार फटटा
10.	सदस्य	-	अजित कुमार जैन
11.	सदस्य	-	प्रिंस कुमार जैन

लोक न्यास का नाम	:	निर्भय सागर तपोवन धार्मिक ट्रस्ट सिदगुंवा, सागर म.प्र.
पता	:	8/5, अंकुर कॉलोनी, मकरोनिया, सागर म.प्र.
चल सम्पत्ति	:	1. 21000/- रुपये नगद. 2. दानदाताओं द्वारा बोली गई राशियों की घोषणा-दो लाख रु. 3. 12 टेबिल, 12 चौका, 472 पुस्तकें ग्रन्थ, 6 अलमारी, 8 पंखा, 1 इनवेटर,12 हजार रु. के पूजन के वर्तन, दो घण्टा, दो घण्टी, कीमती दरी फर्श बैठकी चिटाई.
अचल सम्पत्ति	:	1. ग्राम धवौली, शाहपुर, जिला सागर में एक आदिनाथ दिगम्बर जैन, मंदिर व धर्मशाला है. 2. ग्राम सिदगुंवा सागर में खसरा नम्बर 494 रकवा 0.300 हे. जमीन.
ट्रस्ट का उद्देश्य	:	1. उक्त ट्रस्ट धार्मिक प्रकृति लोक प्रयोजन के कार्यों के लिये गठन किया गया है जो उसका प्रमुख उद्देश्य है.

अत: उपरोक्त ट्रस्ट रजिस्ट्रर्ड किये जाने में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा उजर हो तो वह पेशी दिनांक 12 जनवरी, 2017 को इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकता है बाद गुजरने म्यांद के किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा उजर पर विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 22 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

पेशी दिनांक 12-01-2017.

जारी दिनांक 22-11-2016.

संतोष चंदेल,

(893-A) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं लोक न्यास पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास बासौदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा

स्व. श्री महंत त्यागी जी महाराज आश्रम
परमार्थिक न्यास ग्राम विशनपार, तहसील त्योंदा,
जिला विदिशा द्वारा श्री हरीसिंह रघुवंशी तत्कालीन
विधायक गंजबासौदा, जिला विदिशा. .....आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

समक्ष:- पंजीयक लोक न्यास, बासौदा.

आवेदक श्री हरीसिंह रघुवंशी तत्कालीन विधायक, गंजबासौदा, जिला विदिशा प्रस्तावित अध्यक्ष द्वारा स्व. श्री महंत त्यागी जी महाराज आश्रम पारमार्थिक न्यास ग्राम विशनपार, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा के पंजीयन हेतु म.प्र. सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अंतर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

1. न्यास का नाम	:	स्व. श्री महंत त्यागी जी महाराज आश्रम, धार्मिक पारमार्थिक न्यास ग्राम विशनपार, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा म.प्र.
2. न्यास का कार्यालय	:	स्व. श्री महंत त्यागी जी महाराज आश्रम, धार्मिक पारमार्थिक न्यास ग्राम विशनपार, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा मध्यप्रदेश.
3. न्यास का कार्य क्षेत्र	:	जिला विदिशा.
4. न्यास का उद्देश्य	:	सनातन धर्म एवं धर्माम्बलंबियों के सांस्कृतिक विकास व सामाजिक उत्थान के समस्त कार्य एवं मठ मंदिर आश्रम, गौशाला, धर्मशाला, अन्य धार्मिक क्षेत्रों का विकास तथा वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, ग्रंथालय, वैदिक संस्कृत विद्यालय की स्थापना व धार्मिक पठन पाठन कार्य व शिक्षा एवं तकनीकी प्रशिक्षण हेतु विद्यालय कार्यशाला एवं अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना.
5. न्यास की चल सम्पत्ति	:	संस्था की समस्त निधि राष्ट्रीय बैंक में रहेगी. धन के आहरण का अधिकार अध्यक्ष या सचिव तथा कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा. दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रुपये 10,000/- रुपये रखने का अधिकार होगा. स्व. महंत श्री त्यागी जी महाराज के नाम से पंजाव नेशनल बैंक, शाखा कस्बा बागरोद में खाता क्रमांक 1375000100034068 है एवं दूसरा खाता बैंक ऑफ इंडिया, शाखा, राहतगढ़ में खाता क्रमांक 10100 है. उक्त खाता संचालन हेतु अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो को संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर संचालन करने का अधिकार होगा वह उक्त खाते में राशि जमा कर सकेंगे व निकाल सकेंगे. ट्रस्टों के नियमों के अनुसार व्यय कर सकेंगे तथा महंत स्व. श्री त्यागी जी महाराज के आश्रम के पुनर्निर्माण तथा विकास कार्य में खर्च करेंगे.

6. न्यास की अचल सम्पत्ति	:	ग्राम विशनपार में महंत श्री 1008 मनोहरदास जी त्यागी जी महाराज गुरू श्री 1008 पूरन दास जी महाराज कुटी विशनपार, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा मुख्यतयारआम खास नरेन्द्रसिंह राठौर पुत्र श्री एसएनसिंह राठौर, निवासी अरेरा कॉलोनी, भोपाल के नाम खसरा क्रमांक 507 रकवा 1.170 हे. भूमि स्वामी स्वत्व पर अंकित है तथा ग्राम विशनपार में आश्रम स्थित है.

अतएव सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि इस पारमर्थिक लोक न्यास के पंजीयन में जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से एक माह के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें. अन्यथा ट्रस्ट पंजीयन की विधिवत आगामी कार्यवाही पूर्ण की जावेगी. प्रकरण में सुनवाई दिनांक 16 जनवरी, 2017 नियत है.

आज दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

(887)

प्र.क्र.02/बी-113/2014-15.

प्रारूप-पांच

[देखिए नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट 1951 की धारा-5 (1) व 5 (2) के अंतर्गत]

समक्ष:-पंजीयक, लोक न्यास गंजबासौदा, जिला विदिशा के समक्ष.

अध्यक्ष श्री कांति भाई शाह पुत्र विशनजी भाई, निवासी मील रोड, गंजबासौदा द्वारा श्री रामजानकी मंदिर ट्रस्ट गांधी चौक, गंजबासौदा, जिला विदिशा का मध्यप्रदेश के लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-2 की उपधारा (4) के अभिप्राय के लिए पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है उक्त ट्रस्ट की चल अचल सम्पत्ति पंजीयन हेतु मेरे न्यायालय के प्रकरण चल रहा है जिस पर दिनांक 16 जनवरी, 2017 को मेरे द्वारा विचार किया जाएगा.

उक्त लोक न्यास एवं चल-अचल सम्पत्ति के पंजीयन के किए जाने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के अंदर स्वयं अथवा किसी अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. समयावधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा.

1. न्यास का नाम	:	श्री राम जानकी मंदिर ट्रस्ट, गांधी चौक, गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.).
2. न्यास का कार्यालय	:	गांधी चौक, गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.).
3. न्यास का कार्यक्षेत्र	:	गंजबासौदा, जिला विदिशा.
4. न्यास का उद्देश्य	:	गंजबासौदा एवं आसपास के भक्तजनों और ईश्वर के प्रति आस्थावान लोगों को ईश्वर के प्रति भक्ति भाव जगाकर, मानव सेवा हेतु समर्पित एवं मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन तथा आय व्यय का प्रबंधन,
5. न्यास के आय के साधन	:	दान चंदा आदि.
6. चल/अचल सम्पत्ति	:	1. चल सम्पत्ति-30645/- 2. अचल सम्पत्ति-ग्राम कस्बा बासौदा में 65 बाई 34 फीट स्थित निर्मित मंदिर है. जिसकी अनुमानित कीमत 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपए) है.

(887-A)

श्री रघुवंश परमार्थ सेवा ट्रस्ट गंजबासौदा
जिला विदिशा द्वारा श्री फूलसिंह पुत्र हरीसिंह रघुवंशी
निवासी गंजबासौदा, जिला विदिशा. .....आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

समक्ष:- पंजीयक लोक न्यास, बासौदा.

आवेदक श्री फूलसिंह पुत्र हरीसिंह रघुवंशी, निवासी ग्राम कालापाठा, तहसील बासौदा, विदिशा प्रस्तावित अध्यक्ष द्वारा

श्री रघुवंश परमार्थ सेवा ट्रस्ट, गंजबासौदा के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अंतर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

1. न्यास का नाम	:	श्री रघुवंश परमार्थ सेवा ट्रस्ट , गंजबासौदा, जिला विदिशा म.प्र.
2. न्यास का कार्यालय	:	रघुकुल वृद्धाश्रम, जीवाजीपुर, तहसील गंजबासौदा, जिला विदिशा.
3. न्यास का कार्य क्षेत्र	:	जिला विदिशा.
4. न्यास का उद्देश्य	:	सनातन धर्म एवं धर्माम्बलंबियों के सांस्कृतिक विकास व सामाजिक उत्थान के समस्त कार्य एवं मठ मंदिर आश्रम, पशुओं के कुंड कुटिर उद्योग, व्यायाम शाला, वाचनालय, धर्मशाला, ओषधालय सहित अन्य धार्मिक क्षेत्रों का विकास की स्थापना व धार्मिक पठन पाठन कार्य व शिक्षा एवं तकनीकी प्रशिक्षण हेतु विद्यालय कार्यशाला एवं अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना.
5. न्यास की चल सम्पत्ति	:	संस्था की समस्त निधि यूको बैंक में एक खाता क्रमांक 28970110043189 है. राशि के आहरण का अधिकार अध्यक्ष सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा.
6. न्यास की अचल सम्पत्ति	:	श्री रघुवंश परमार्थ सेवा ट्रस्ट के नाम से अचल सम्पत्ति भूमि ग्राम बैहलोट के आराजी 40/2/2/1/0010 रकवा 3.391 हे. में से रकवा 0.035 हे. भूमि स्वामी स्वत्व पर अंकित है.

अतएव सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि इस रघुवंश परमार्थ सेवा ट्रस्ट के पंजीयन में जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से एक माह के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें. अन्यथा ट्रस्ट पंजीयन की विधिवत आगामी कार्यवाही पूर्ण की जावेगी. प्रकरण में सुनवाई दिनांक 24 जनवरी, 2017 नियत है.

आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

तृप्ति श्रीवास्तव,
उप खण्ड अधिकारी.

(887-B)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, नरसिंहपुर

प्रारूप क्र.-4

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, जिला नरसिंहपुर के समक्ष

यह कि श्री नवनीतलाल मुंधरा, निवासी भिवाड़ी राजस्थान, स्वामी श्री एश्वर्यानन्द सरस्वती, निवासी इन्दौर एवं श्री प्रवीण बाधवा, निवासी सुभाष वार्ड करेली ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट नीचे लिखी सम्पत्ति एवं ट्रस्टी सदस्यों को लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 25 जनवरी, 2017 के कार्यालयीन दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा मान्य अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

नाम	:	करेली एजुकेशन ट्रस्ट, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर.
पता	:	तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर.

(चल सम्पत्ति का विवरण)

न्यासधारियों के पास कुल नगद 1008/- रुपये है जो प्रस्तावित सदस्य स्वामी एश्वर्यानन्द सरस्वती के पास हैं.

न्यासी समिति के सदस्यों के प्रस्तावित नामः-

क्र.	प्रस्तावित नाम	पदनाम
1.	श्री नवनीतलाल मुंधरा, निवासी-भिवाड़ी राजस्थान	अध्यक्ष
2.	स्वामी श्री एश्वर्यानन्द सरस्वती, निवासी-इन्दौर	प्रबंधक न्यासी
3.	श्री प्रवीण बाधवा, निवासी सुभाष वार्ड करेली	प्रबंधक न्यासी

डी. एस. तोमर,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(01)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

खरगौन, दिनांक 21 सितम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1129बी.—दुर्गा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्र./एन.एम.आर. (के.आर.जी.एम.) पंजीयन क्र. 1472/दिनांक 03 फरवरी, 2006 को कार्यालयीन आदेश क्र. 530, दिनांक 04 अप्रैल, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक द्वारा पंजीयन निरस्ति हेतु परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर निरंक स्थिति विवरण पत्रक के साथ अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला खरगौन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 21 सितम्बर, 2016 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 21 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(888)

खरगौन, दिनांक 31 अक्टूबर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1325.—आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र. 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं, जिनके पंजीयन क्र. कॉलम 04 में दर्शित है एवं कॉलम क्र. 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्र. 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्थाओं की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का उप-पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, द्वारा नियुक्त अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियां एवं लेनदारियां का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला खरगौन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारुप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 से निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट)के रूप में नहीं रहेगा.

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकाखण्ड	पंजीयन क्रं.	परिसमापन आदेश क्रं.	परिसमापक का नाम
1.	एकता कामगार कारीगर साख सह. संस्था मर्या., खरगौन.	खरगौन	77/06-07-2005	1387/06-11-2009	श्री आर. के. रोमड़े, स. वि. अ. महेश्वर.

यह आदेश आज दिनांक 30 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

(888-A)

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 09 दिसम्बर, 2016

क्र./परि./2016/2881.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/2152, दिनांक 05 नवम्बर, 2016 द्वारा आदर्श ग्रामीण महिला

बहुउदेशीय सहकारी संस्था मर्या., बरखाडी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था किन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत आदर्श ग्रामीण महिला बहुउदेशीय सहकारी संस्था मर्या., बरखाडी, जिसका पंजीयन क्रमांक 679, दिनांक 09 अगस्त, 2016 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एन. एस. बरेलिया, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(889)

शिवपुरी, दिनांक 09 दिसम्बर, 2016

क्र./परि./2016/2882.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/2154, दिनांक 05 नवम्बर, 2016 द्वारा आदर्श महिला बहुउदेशीय सहकारी संस्था मर्या., भानगढ को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था किन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत आदर्श महिला बहुउदेशीय सहकारी संस्था मर्या., भानगढ, जिसका पंजीयन क्रमांक 689, दिनांक 12 अगस्त, 2016 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एन. एस. बरेलिया, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(889-A)

शिवपुरी, दिनांक 09 दिसम्बर, 2016

क्र./परि./2016/2883.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/2153, दिनांक 05 नवम्बर, 2016 द्वारा आदर्श महिला बहुउदेशीय सहकारी संस्था मर्या., गाजीगढ़ को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था किन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत आदर्श महिला बहुउदेशीय सहकारी संस्था मर्या., गाजीगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 684, दिनांक 12 अगस्त, 2016 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एन. एस. बरेलिया, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(889-B)

शिवपुरी, दिनांक 09 दिसम्बर, 2016

क्र./परि./2016/2884.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/2155, दिनांक 05 नवम्बर, 2016 द्वारा महिला बहुउदेशीय सहकारी संस्था मर्या., सौन्हर को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था किन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउदेशीय सहकारी संस्था मर्या., सौन्हर, जिसका पंजीयन क्रमांक 687, दिनांक 12 अगस्त, 2016 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एन. एस. बरेलिया, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

एस. के. सिंह,
उप-पंजीयक.

(889-C)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

हरिजन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., फंदा भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/134, दिनांक 17 अप्रैल, 1979.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3050.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/531, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि हरिजन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., फंदा भोपाल, पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./134, दिनांक 17 अप्रैल, 1979 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(890)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

प्राथमिक बुनकर सहकारी संस्था मर्या., ललरिया भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/97, दिनांक 20 नवम्बर, 1979.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3051.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/531, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द"

वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि प्राथमिक बुनकर सहकारी संस्था मर्या., ललरिया भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/97, दिनांक 20 नवम्बर, 1979 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(890-A)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

हाथकरघा बुनकर सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/107, दिनांक 15 मार्च, 1980.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3052.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/531, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि हाथकरघा बुनकर सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/107, दिनांक 15 मार्च, 1980 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(890-B)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

आजाद बुनकर सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/113, दिनांक 10 अगस्त, 1981.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3053.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/531, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि आजाद बुनकर सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/113, दिनांक 10 अगस्त, 1981 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(890-C)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

जय गुरूदेव बुनकर सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/586, दिनांक 10 अप्रैल, 1996.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3054.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/531, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि जय गुरूदेव बुनकर सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/586, दिनांक 10 अप्रैल, 1996 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(890-D)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

शिवम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/654, दिनांक 06 सितम्बर, 1997.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3055.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/531,

दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि शिवम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/654, दिनांक 06 सितम्बर, 1997 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(890-E)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

अमन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/690, दिनांक 10 जून, 2008.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3056.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/531, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि अमन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/690, दिनांक 10 जून, 2008 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(890-F)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

सेन्टल बीवर्स को-आपरेटिव सोसायटी, छाकी भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/1272, दिनांक 26 जुलाई, 1947.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3057.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/531, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि सेन्टल बीवर्स को-आपरेटिव सोसायटी, छाकी भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/1272, दिनांक 26 जुलाई, 1947 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(890-G)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

कुक्कुट विकास सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/269, दिनांक 09 दिसम्बर, 1996.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3049.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/531, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि कुक्कुट विकास सहकारी संस्था मर्या., फंदा भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/269, दिनांक 09 दिसम्बर, 1996 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(890-H)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

माँ शारदा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/864, दिनांक 09 जून, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3058.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/525, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द"

वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि माँ शारदा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/864, दिनांक 09 जून, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(890-I)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

श्री गणेश ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/865, दिनांक 09 जून, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3059.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/525, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि श्री गणेश ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/865, दिनांक 09 जून, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(890-J)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

खुशबू ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/866, दिनांक 09 जून, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3060.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/525, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि खुशबू ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/866, दिनांक 09 जून, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(890-K)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

प्रगति ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/872, दिनांक 21 जून, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3063.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/525, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि प्रगति ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/872, दिनांक 21 जून, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(890-L)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

नवचेतना ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/868, दिनांक 20 जून, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3062.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/525, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द"

वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि नवचेतना ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/868, दिनांक 20 जून, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(890-M)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

प्रगति ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/867, दिनांक 14 जून, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3061.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/525, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि प्रगति ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/867, दिनांक 14 जून, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(890-N)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

सिद्धी सदन ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1072, दिनांक 12 जुलाई, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3085.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/525, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि न्यू सिद्धी सदन ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1072, दिनांक 12 जुलाई, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(890-O)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

न्यू रोशनी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1071, दिनांक 12 जुलाई, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3084.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/525, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि अभियान न्यू रोशनी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1071, दिनांक 12 जुलाई, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(890-P)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

सुविधा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1066, दिनांक 11 जुलाई, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3081.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/525, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द"

वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि सुविधा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र. डी.आर.बी/1066, दिनांक 11 जुलाई, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(890-Q)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

रागिनी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1057, दिनांक 05 जुलाई, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3080.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/525, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि रागिनी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र. डी.आर.बी/1057, दिनांक 05 जुलाई, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(890-R)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

रजनी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1050, दिनांक 22 जनवरी, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3078.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/525, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि रजनी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1050, दिनांक 22 जनवरी, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(890-S)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

यमुना ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1048, दिनांक 22 जनवरी, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3076.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/525, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि यमुना ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र. डी.आर.बी/1048, दिनांक 22 जनवरी, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(890-T)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

माया ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1045, दिनांक 20 जनवरी, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3074.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/525, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द"

वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि माया ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1045, दिनांक 20 जनवरी, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(890-U)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

यादव ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1044, दिनांक 20 जनवरी, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3073.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/525, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि भारत यादव ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन

क्र.डी.आर.बी/1044, दिनांक 20 जनवरी, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(890-V)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

नेशनल ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1073, दिनांक 12 जुलाई, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3086.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/525, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि न्यू नेशनल ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1073, दिनांक 12 जुलाई, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(890-W)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

शिवा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1070, दिनांक 11 जुलाई, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3083.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/525, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि शिवा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1070, दिनांक 11 जुलाई, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(890-X)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

लाल सांई ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1030, दिनांक 11 जनवरी, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3070.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/525, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.

5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि भारत लाल सांई ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1030, दिनांक 11 जनवरी, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(890-Y)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

ताज ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1038, दिनांक 18 जनवरी, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3071.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/525, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि भारत ताज ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1038, दिनांक 18 जनवरी, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(890-Z)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

श्री महामाया ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1042, दिनांक 19 जनवरी, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3072.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/525, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि भारत श्री महामाया ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1042, दिनांक 19 जनवरी, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(891)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

राजधानी कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/89, दिनांक 28 फरवरी, 1979.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3048.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/530, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.

5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि राजधानी कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., फंदा भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/89, दिनांक 28 फरवरी, 1979 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(891-A)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

गंगा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1047, दिनांक 20 जनवरी, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3075.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/525, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि गंगा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1047, दिनांक 20 जनवरी, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(891 B)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

इण्डियन ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/879, दिनांक 24 जून, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3065.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/525, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि भारत इण्डियन ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/879, दिनांक 24 जून, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(891-C)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

भारत ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/873, दिनांक 21 जून, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3064.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/525, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द"

वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि भारत ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/873, दिनांक 21 जून, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(891-D)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

जयमहाकाल ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र. डी.आर.बी/1027, दिनांक 07 जनवरी, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3068.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/525, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि भारत जयमहाकाल ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र. डी.आर.बी/1027, दिनांक 07 जनवरी, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(891-E)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

न्यू स्टार ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र. डी.आर.बी/1029, दिनांक 10 जनवरी, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3069.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/525, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि भारत न्यू स्टार ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र. डी.आर.बी/1029, दिनांक 10 जनवरी, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(891-F)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

दीप ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1015, दिनांक 17 नवम्बर, 2004.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3067.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/525, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि भारत दीप ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1015, दिनांक 17 नवम्बर, 2004 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(891-G)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

माँ भगवती ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/883, दिनांक 25 जून, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3066.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/525, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द"

वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में अराफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि मॉ भगवती ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/883, दिनांक 25 जून, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(891-H)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

रिंकी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1049, दिनांक 22 जनवरी, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3077.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/525, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि रिंकी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र. डी.आर.बी/1049, दिनांक 22 जनवरी, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(891-I)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

राधा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1056, दिनांक 04 जुलाई, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3079.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/525, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि राधा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.डी. आर.बी/1056, दिनांक 04 जुलाई, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(891-J)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

राजश्री ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1063, दिनांक 07 जुलाई, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3082.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/525, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि राजश्री ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र. डी.आर.बी/1063, दिनांक 07 जुलाई, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(891-K)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

चिंतपूर्णा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1075, दिनांक 12 जुलाई, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3087.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/525, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द"

वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि चिंतपूर्णा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1075, दिनांक 12 जुलाई, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(891-L)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतनपुर सड़क भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/434, दिनांक 27 अप्रैल, 1992.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परिसमापन/2016/3043.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/526, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतनपुर सड़क भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/434, दिनांक 27 अप्रैल, 1992 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(891-M)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बवचिया भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/433, दिनांक 27 अप्रैल, 1992.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परिसमापन/2016/3042.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/526, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बवचिया भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/433, दिनांक 27 अप्रैल, 1992 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(891-N)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चौपड़ाकला भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/258, दिनांक 23 अक्टूबर, 1986.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परिसमापन/2016/3030.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/526, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चौपड़ाकला भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/258, दिनांक 23 अक्टूबर, 1986 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(891-O)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., परसौरा भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/262, दिनांक 29 अक्टूबर, 1986.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परिसमापन/2016/3031.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/526, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5 6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द"

वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., परसौरा भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/262, दिनांक 29 अक्टूबर, 1986 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(891-P)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जामूसर कला भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/259, दिनांक 23 अक्टूबर, 1986.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परिसमापन/2016/3032.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/526, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जामूसर कला भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/259, दिनांक 23 अक्टूबर, 1986 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(891-Q)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ललोई भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/263, दिनांक 29 अक्टूबर, 1986.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परिसमापन/2016/3033.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/526, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ललोई भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/263, दिनांक 29 अक्टूबर, 1986 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(891-R)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़झिरी भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/266, दिनांक 21 नवम्बर, 1986.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परिसमापन/2016/3034.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/526, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़झिरी भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/266, दिनांक 21 नवम्बर, 1986 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(891-S)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टीलाखेड़ी भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/278, दिनांक 19 जून, 1987.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परिसमापन/2016/3035.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/526, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द"

वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टीलाखेड़ी भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/278, दिनांक 19 जून, 1987 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(891-T)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खुराना भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/281, दिनांक 24 अगस्त, 1987.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परिसमापन/2016/3036.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/526, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खुराना भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/281, दिनांक 24 अगस्त, 1987 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(891-U)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हर्राखेड़ा भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/284, दिनांक 16 अक्टूबर, 1987.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परिसमापन/2016/3037.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/526, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हर्राखेड़ा भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/284, दिनांक 16 अक्टूबर, 1987 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(891-V)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कढ़ैयाचवर भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/377, दिनांक 08 अक्टूबर, 1991.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परिसमापन/2016/3038.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/526, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कढ़ैयाचवर भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/377, दिनांक 08 अक्टूबर, 1991 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(891-W)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बीनापुर भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/379, दिनांक 08 अक्टूबर, 1991.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परिसमापन/2016/3039.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/526, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द"

वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बीनापुर भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/379, दिनांक 08 अक्टूबर, 1991 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(891-X)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नलखेड़ा भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/381, दिनांक 08 अक्टूबर, 1991.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परिसमापन/2016/3040.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/526, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नलखेड़ा भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/381, दिनांक 08 अक्टूबर, 1991 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति

से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(891-Y)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुल्होर भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/383, दिनांक 08 अक्टूबर, 1991.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परिसमापन/2016/3041.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/526, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुल्होर भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/383, दिनांक 08 अक्टूबर, 1991 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(891-Z)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुनगा भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/224, दिनांक 12 अक्टूबर, 1984.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परिसमापन/2016/3044.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/526, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द"

वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुनगा भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/224, दिनांक 12 अक्टूबर, 1984 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(894-A)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रापड़िया भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/223, दिनांक 12 अक्टूबर, 1984.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परिसमापन/2016/3045.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/526, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रापड़िया भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/223, दिनांक 12 अक्टूबर, 1984 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(894-B)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दामखेड़ा भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/200, दिनांक 10 नवम्बर, 1983.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परिसमापन/2016/3046.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/526, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दामखेड़ा भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/200, दिनांक 10 नवम्बर, 1983 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अखिलेश चौहान,
सहायक पंजीयक.

(894)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

सुंदर यातायात सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/559, दिनांक 02 नवम्बर, 1992.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2919.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/529, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि सुंदर यातायात सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/559, दिनांक 02 नवम्बर, 1992 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, एम. एल. गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(892)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

निर्मल परिवहन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/745, दिनांक 24 मई, 1997.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2921.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/529, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द"

वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि निर्मल परिवहन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/745, दिनांक 24 मई, 1979 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, एम. एल. गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(892-A)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

सिंधी साहिती यातायात सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/1275, दिनांक 03 नवम्बर, 1949.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2920.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/529, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि सिंधी साहिती यातायात सहकारी संस्था मर्या., भौपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/1275, दिनांक 03 नवम्बर, 1949 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, एम. एल. गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(892-B)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

भारत छविगृह सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/187, दिनांक 07 फरवरी, 1979.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2898.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/532, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि भारत छविगृह सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/187, दिनांक 07 फरवरी, 1979 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, एम. एल. गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(892-C)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

अभियान संस्कृति चलचित्र सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/200, दिनांक 05 मार्च, 1981.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2899.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/532, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि अभियान संस्कृति चलचित्र सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/200, दिनांक 05 मार्च, 1981 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, एम. एल. गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(892-D)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

हरिजन सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/296, दिनांक 30 अगस्त, 1989.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2900.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/532, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द"

वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि हरिजन सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/296, दिनांक 30 अगस्त, 1989 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, एम. एल. गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(892-E)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/300, दिनांक 23 फरवरी, 1969.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2901.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/532, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर. बी/300, दिनांक 23 फरवरी, 1969 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(892-F)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

त्रिवेणी उदवहन सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/974, दिनांक 08 मार्च, 2004.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2913.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/532, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि त्रिवेणी उदवहन सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/974, दिनांक 08 मार्च, 2004 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(892-G)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

प्रगतिशील सूकर पालन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/878, दिनांक 28 फरवरी, 2001.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2912.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/532, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि प्रगतिशील सूकर पालन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/878, दिनांक 28 फरवरी, 2001 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, एम. एल. गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(892-H)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

न्यायिक कर्मचारी को-आपरेटिव सोसायटी लि. भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1024, दिनांक 06 जनवरी, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2915.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/532, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द"

वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि न्यायिक कर्मचारी को-आपरेटिव सोसायटी लि. भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1024, दिनांक 06 जनवरी, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, एम. एल. गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(892-I)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

डेट वीडियों विजन फिल्म सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/565, दिनांक 02 सितम्बर, 1963.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2906.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/532, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि डेट वीडियों विजन फिल्म सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/565, दिनांक 02 सितम्बर, 1963 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(892-J)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

अम्बे फोटोफिल्म एण्ड वीडियो प्रोडक्शन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/560, दिनांक 21 अप्रैल, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2904.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/532, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि अम्बे फोटोफिल्म एण्ड वीडियो प्रोडक्शन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/560, दिनांक 21 अप्रैल, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(892-K)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

सुकर पालन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/317, दिनांक 23 मई, 1968.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2902.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/532, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि सुकर पालन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र. ए.आर.बी/317, दिनांक 23 मई, 1968 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, एम. एल. गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(892-L)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

गैस पीड़ित नौकायन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/393, दिनांक 25 मई, 1991.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2903.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/532, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द"

वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि गैस पीड़ित नौकायन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/393, दिनांक 25 मई, 1991 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, एम. एल. गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(892-M)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

विकास चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/837, दिनांक 11 फरवरी, 1997.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2916.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/532, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि विकास चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/837, दिनांक 11 फरवरी, 1997 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(892-N)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

रूरल इलेक्टानिक डेवलपमेंट सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/590, दिनांक 24 मई, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2908.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/532, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि रूरल इलेक्टानिक डेवलपमेंट सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/590, दिनांक 24 मई, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(892-O)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

महात्मा फूले क्रय विक्रय सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1094, दिनांक 02 जुलाई, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2914.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/532, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि महात्मा फूले क्रय विक्रय सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1094, दिनांक 02 जुलाई, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, एम. एल. गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(892-P)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

पटेल सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/864, दिनांक 09 अप्रैल, 2001.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2911.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/532, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द"

वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि पटेल सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/864, दिनांक 09 अप्रैल, 2001 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, एम. एल. गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(892-Q)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

फिल्म डेवलपमेंट एण्ड एडवरटाइजिंग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/563, दिनांक 15 मई, 1992.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2905.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/532, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि फिल्म डेवलपमेंट एण्ड एडवरटाइजिंग सहकारी संस्था मर्या. , भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/563, दिनांक 15 मई, 1992 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, एम. एल. गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(892-R)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

सॉची पर्यटन विकास सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/666, दिनांक 11 सितम्बर, 1995.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2909.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/532, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि सॉची पर्यटन विकास सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/666, दिनांक 11 सितम्बर, 1995 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, एम. एल. गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(892-S)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

इण्डस व्यवसायिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/855, दिनांक 20 अप्रैल, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2910.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/532, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि इण्डस व्यवसायिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/855, दिनांक 20 अप्रैल, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, एम. एल. गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(892-T)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

म.प्र. पर्यटन विकास सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/578, दिनांक 24 मई, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2907.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/532, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द"

वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि म.प्र. पर्यटन विकास सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/578, दिनांक 24 मई, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(892-U)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

प्रतिभा चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., नलखेड़ा भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/568, दिनांक 04 मार्च, 1996.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2917.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/532, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि प्रतिभा चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., नलखेड़ा भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/568, दिनांक 04 मार्च, 1996 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(892-V)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

बांस मेकर सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/171, दिनांक 24 जून, 1982.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2918.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/532, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि बांस मेकर सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र. ए.आर.बी/171, दिनांक 24 जून, 1982 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, एम. एल. गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एम. एल. गजभिये,
उप-पंजीयक.

(892-W)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जनवरी, 2017-पोष 16, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 17 अगस्त, 2016

1. मौसम एवं वर्षा.--राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.-

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.-तहसील डबरा, घाटीगांव (ग्वालियर), शिवपुरी, पिछोर, खनियाधाना, करैरा, पोहरी (शिवपुरी), मुंगावली, ईसागढ़, चन्देरी (अशोकनगर), निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, टीकमगढ़, बल्देवगढ़, ओरछा (टीकमगढ़), बंडा, मालथोन (सागर), पथरिया, तेन्दूखेड़ा (दमोह), भानपुरा, मल्हारगढ़, मंदसौर, श्यामगढ़, सीतामऊ, धुन्धड़का, संजीत, कयामपुर, (मंदसौर), मनासा (नीमच), गुलाना (शाजापुर), सोण्डवा (अलीराजपुर), सरदारपुर, धार, मनावर, गंधवानी (धार), महेश्वर, सेगांव, खरगौन, गोगांवा, कसरावद, भगवानपुरा, झिरन्या (खरगौन), बड़वानी, ठीकरी, राजपुर, सेंधवा (बड़वानी), आष्टा (सीहोर), पिपरिया (होशंगाबाद), छिन्दवाड़ा, परासिया, सोंसर, पांढुर्ना, अमरवाड़ा, चौरई, बिछुआ, उमरेठ, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), सिवनी, बरघाट, कुरई, छपारा (सिवनी), लांजी, बेहर, खैरलांजी (बालाघाट)में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.-तहसील लहार (भिण्ड), ग्वालियर, भितरवार (ग्वालियर), नरवर, कोलारस (शिवपुरी), देवरी, केसली (सागर), बटियागढ़ (दमोह), सुबासराटप्पा, गरोठ (मंदसौर), नीमच (नीमच), मो. बड़ोदिया, शुजालपुर (शाजापुर), जोवट, उदयगढ़, चन्द्रशेखर आ. नगर (अलीराजपुर), कुक्षी, धरमपुरी (धार), बड़वाह, भीकनगांव (खरगौन), पानसेमल, पाटी (बड़वानी), जावरा, इच्छावर, नसरूल्लागंज, रेहटी (सिहोर), बाड़ी (रायसेन), जुन्नारदेव, हर्रई (छिन्दवाड़ा), केवलारी, घनौरा (सिवनी), लालबर्रा, बिरसा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.- तहसील कराहल (श्योपुर), भिण्ड, गोहद (भिण्ड), अशोकनगर (अशोकनगर), गुना (गुना), बीना, खुरई, राहतगढ़, शाहगढ़ (सागर), हटा, दमोह (दमोह), पाली (उमरिया), जावद (नीमच), शाजापुर, कालापीपल (शाजापुर), अलीराजपुर, कट्टीबाड़ा (अलीराजपुर), बदनावर, डही (धार), निवाली (बड़वानी), सीहोर (सीहोर), उदयपुरा, बरेली (रायसेन), बावई, वनखेड़ी (होशंगाबाद), बिछिया, घुघरी (मंडला), लखनादौन, घन्सौर (सिवनी), बालाघाट, किरनापुर, परसवाड़ा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 35.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.- तहसील श्योपुर, विजयपुर (श्योपुर), अटेर, मेहगांव, रोन-मिहोना (भिण्ड), बदरवास (शिवपुरी), राघौगढ़, बमौरी, आरोन, चाचौड़ा, कुंभराज (गुना), पलेरा (टीकमगढ़), गुन्नौर, पवई (पन्ना), सागर (सागर), जवेरा, पटेरा (दमोह), रघुराजनगर, उचेहरा, अमरपाटन, रामनगर (सतना), मऊगंज, गुढ़, रायपुरकर्चुलियान (रीवा), सोहागरपुर, ब्यौहारी, गोहपारू, बुढार (शहडोल), जेतहरी, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़, मानपुर (उमरिया), सिंहावल, कुसमी, रामपुरनैकिन (सीधी), सिंगरौली (सिंगरौली), बुधनी (सीहोर), रायसेन, गैरतगंज, बेगमगंज, गोहरगंज, सिलवानी (रायसेन), सिवनी-मालवा, होशंगाबाद, इटारसी, सोहागपुर, पचमढ़ी (होशंगाबाद), जबलपुर, पाटन, सीहोर, मंझौली, कुंडम (जबलपुर), निवास, नैनपुर, मंडला, नारायणगंज (मंडला), तामिया (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ड) 245.0 मि. मी. से 450.0 मि. मी. तक.- तहसील अजयगढ़, पन्ना, शाहनगर (पन्ना), मझगवां, रामपुर-बघेलान, नागौद, मैहर, बिरसिंहपुर (सतना), त्योंथर, सिरमौर, हनुमना, हुजूर (रीवा), जैसिंहनगर, जैतपुर (शहडोल), कोतमा (अनूपपुर), गोपदबनास, मंझोली, चुरहट (सीधी), चितरंगी, देवसर (सिंगरौली) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.- जिला ग्वालियर, दतिया, पन्ना, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, झाबुआ, बड़वानी, जबलपुर, कटनी व मंडला में जुताई व रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.- जिला ग्वालियर, पन्ना, रीवा, शहडोल, उमरिया, सीधी, जबलपुर, कटनी व मंडला में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति- . .

5. कटाई.- . .

6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, शिवपुरी, पन्ना, शहडोल, बड़वानी, जबलपुर, सिवनी व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 17 अगस्त, 2016

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	130		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, उड़द, मूंग सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	48.2		(2) . .		
3. विजयपुर	182.6				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. अटेर	55.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	45.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	38.0				
4. मेंहगांव	71.2				
5. लहार	26.3				
6. मिहोना 7. रौन	67.5				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	19.1		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	2.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	19.0				
4. घाटीगांव	9.0				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) गन्ना, मूंगफली, तिल समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	10.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	17.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	5.0				
4. नरवर	31.0				
5. करैरा	11.6				
6. कोलारस	22.0				
7. पोहरी	12.0				
8. बदरवास	184.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	15.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. उड़द, गन्ना, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	12.0		(2) . .		
3. अशोकनगर	35.0				
4. चन्देरी	3.0				
5. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	40.3		4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	138.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बमोरी	108.0				
4. आरोन	107.0				
5. चाचौड़ा	157.0				
6. कुम्भराज	103.0				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	12.0		4. (1) धान, ज्वार, मूंग, उर्दा, मूंगफली, तिल, अरहर-समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	4.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	12.0				
4. टीकमगढ़	3.0				
5. बल्देवगढ़	14.0				
6. पलेरा	57.0				
7. ओरछा	12.0				
10. *जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. लव-कुश नगर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. गौरीहार	. .		(2) . .		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्सवाहा	. .				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	387.1		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. पन्ना	323.1		(2) . .		
3. गुन्नौर	238.0				
4. पवई	165.0				
5. शाहनगर	260.6				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. बीना	38.2		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, उड़द, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	39.7		(2) . .		
3. बण्डा	15.0				
4. सागर	80.6				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	31.0				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	37.0				
9. केसली	23.0				
10. मालथोन	2.2				
11. शाहगढ़	35.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	46		4. (1) सोयाबीन, धान, अरहर, उड़द, ज्वार, मूंग, मक्का, गन्ना, मूंगफली, तिल सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	25		(2) . .		
3. दमोह	35.4				
4. पथरिया	4				
5. जवेरा	102				
6. तेन्दूखेड़ा	16.2				
7. पटेरा	63				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	244.6		4. (1) सोयाबीन, तिल, अरहर, कम. धान, मक्का, उड़द, मूंग समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	309.0		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	321.0				
4. नागौद	345.0				
5. उचेहरा	205.0				
6. अमरपाटन	185.0				
7. रामनगर	181.0				
8. मैहर	300.0				
9. बिरसिंहपुर	416.0				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	422		4. (1) उड़द, मूंग अधिक. धान, सोयाबीन कम. तुअर, ज्वार समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	394.0		(2) . .		
3. मऊगंज	216.2				
4. हनुमना	264.8				
5. हजूर	406.1				
6. गुढ़	243.2				
7. रायपुरकर्चुलियान	231.0				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	151.0		4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	228.0		(2) . .		
3. गोहपारू	184.0				
4. जैसिंहनगर	377.0				
5. बुढ़ार	134.5				
6. जैतपुर	311.0				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं धान रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	127.1		4. (1) धान, कोदों-कुटकी कम. मक्का, सोया. तुअर, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	104.7		(2) . .		
3. कोतमा	410.4				
4. पुष्पराजगढ़	233.6				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	120.4		4. (1) मक्का, धान, तुअर, उड़द, मूंग, तिल, ज्वार अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	42.0		(2) . .		
3. मानपुर	91.0				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	251.6		4. (1) धान, तुअर, तिल कम. उड़द, मूंग, ज्वार, मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	223.0		(2) . .		
3. मझौली	268.3				
4. कुसमी	235.0				
5. चुरहट	391.9				
6. रामपुरनैकिन	218.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	396.8		4. (1) धान कम. मक्का, राहर, उड़द, कोंदो-कुटकी, ज्वार समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	268.1		(2) . .		
3. सिंगरौली	203.8				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	23.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	17.4		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	7.0				
4. गरोठ	24.0				
5. मंदसौर	9.0				
6. श्यामगढ़	11.0				
7. सीतामऊ	2.0				
8. धुंधड़क्का	6.0				
9. संजीत	9.0				
10. कयामपुर	3.0				
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	42.2		4. (1) उड़द, मक्का, तिल, तुअर, मूंफली, मूंग अधिक. सोयाबीन, धान-कम. ज्वार समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	26.0		(2) . .		
3. मनासा	7.2				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास समान.	6. संतोषप्रद, . .	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलोदा	. .				
6. रतलाम	. .				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया	20.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	35.8		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शुजालपुर	34.0				
4. कालापीपल	37.0				
5. गुलाना	16.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग अधिक. सोयाबीन, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. खातेगांव	. .				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) मक्का, सोयाबीन, उड़द, कपास, मूंगफली, तुअर अधिक. धान समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जोवट	21.6		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	41.4		(2) . .		
3. कट्टीवाड़ा	48.0				
4. सोंडवा	5.0				
5. उदयगढ़	21.2				
6. च. शेखर आ. नगर	33.6				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	45.4		4. (1) सोयाबीन, कपास, गन्ना अधिक. मक्का कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	14.0		(2) . .		
3. धार	11.9				
4. कुक्षी	17.5				
5. मनावर	15.0				
6. धरमपुरी	23.0				
7. गंधवानी	15.0				
8. डही	41.0				
31. *जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	24.0		4. (1) मक्का, बाजरा, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, कपास, मूंगफली, तुअर, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	10.2		(2) . .		
3. सेगांव	5.0				
4. खरगौन	13.0				
5. गोगावां	8.0				
6. कसरावद	12.0				
7. भगवानपुरा	4.4				
8. भीकनगांव	19.0				
9. झिरन्या	17.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	10.8		4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ठीकरी	8		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	2				
4. सेंधवा	9				
5. पानसेमल	20.0				
6. पाटी	27				
7. निवाली	45.0				
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1)सोयाबीन, कपास, धान, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		ज्वार, उड़द, मूंग.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .		(2) . .		
35. *जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5.	7. . .
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खकनार	. .		(2) . .		
3. नेपानगर	. .				
36. *जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5.	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	. .	
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	43.1		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. आष्टा	16.0				
4. जावरा	24.6				
5. इछावर	26.0				
6. नसरूल्लागंज	26.0				
7. रेहटी	32.4				
8. बुधनी	81.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	70.2		4. (1)धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, गन्ना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. गैरतगंज	64.8		(2) . .		
3. बेगमगंज	80.0				
4. गोहरगंज	73.0				
5. बरेली	52.8				
6. सिलवानी	70.8				
7. बाड़ी	31.0				
8. उदयपुरा	46.0				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) . .		
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	59.2		4. (1)गन्ना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	104.2		(2) . .		
3. बावई	53.0				
4. इटारसी	61.0				
5. सोहागपुर	110.0				
6. पिपरिया	16.6				
7. बनखेड़ी	36.6				
8. पचमढ़ी	96.6				
43. *जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5.	7. . .
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	106.4		4. (1) मक्का अधिक. उड़द, धान, तुअर, को. कुटकी कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	85.0		(2) . .		
3. जबलपुर	159.1				
4. मझोली	91.9				
5. कुण्डम	69.7				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) . .		
3. विजयराघौगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. *जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5.	7. . .
1. गाड़रवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	87.4		4. (1) धान, मक्का, सन्, कोदो-कुटकी, तुअर, सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, . .	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	53.1				
3. नैनपुर	71.4		(2) . .		
4. मण्डला	59.5				
5. घुघरी	40.7				
6. नारायणगंज	94.4				
48. *जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5.	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. शाहपुरा	. .		(2) . .		
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	6.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	18.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	14.3				
4. तामिया	77.0				
5. सोंसर	2.1				
6. पांदुर्णा	6.5				
7. अमरवाड़ा	10.4				
8. चौरई	1.0				
9. चाँद	. .				
10. बिछुआ	5.2				
11. हर्रई	28.0				
12. उमरेठ	12.0				
13. मोहखेड़ा	5.4				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	2.20		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	19.40		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादोन	52.80				
4. बरघाट	11.30				
5. उरई	11.0				
6. घंसोर	4 0.0				
7. घनोरा	21.50				
8. छपारा	9.0				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	39.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	8.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	15.0				
4. वारासिवनी	17.9				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	37.6				
7. खैरलांजी	15.0				
8. लालबर्रा	32.0				
9. बिरसा	34.5				
10. परसबाड़ा	36.4				

टीप.-*जिला छतरपुर, इन्दौर, बुरहानपुर, राजगढ़, हरदा, नरसिंहपुर, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

सुहेल अली,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(886)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017.